

कार से 1 5 लाख रुपये का डोडा-चूरा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने कार से 101 किलो 414 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद किया

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके की सीमलिया पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कारवाँई करते हुए कार से अवैध मादक पदार्थ 1०1 किलो 414 ग्राम डोडा-चूरा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा पकड़ी गई मादक पदार्थ की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सीमलिया पुलिस व जिला विशेष टीम ने संयुक्त रूप से कारवाँई को अंजाम दिया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्कारी व तस्करों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिमलिया थानाधिकारी नन्द सिंह व जिला विशेष टीम ने मय जाब्ता संयुक्त रूप से



कोटा ग्रामीण की सीमलिया पुलिस टीम ने कार से अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा जब्त किया।

कारवाँई करते हुए नाकाबंदी कर वाहनों की चौकियां कर रही थी।

पुलिस नाकाबंदी को देखकर एक कार चालक ने कार को घुमाने का

प्रयास किया तो मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को रूकवाया

■ अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सीमलिया पुलिस व जिला विशेष टीम ने कारवाँई की

और कार में सवार लोगों को डिटैन कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को दोनों के पास से अवैध मादक पदार्थ 1०1 किलो 414 ग्राम डोडा-चूरा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने मादक पदार्थ व कार को जब्त किया एवं एनडीपीएस एक्ट में कारवाँई करते हुए कार में सवार जिला नागौर के डारों की ढाणी रेण निवासी बनवारी (40) एवं जिला नागौर के पोलास निवासी सुरेश (38) को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये दोनों तस्करों से अनुसंधान जारी है।

विदेश भेजने के नाम पर ठगी

श्रीगंगानगर, (निसं)। विदेश भेजने के नाम पर युवक से लाखों ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने फर्जी ऑफर लेटर और एप्प्रीमेंट देकर दो भाइयों से करीब 2.80 लाख रुपए ले लिए।

जानकारी अनुसार रायसिंहनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर आरोपी ने खुद को विदेश भेजने का एक्सपर्ट बताया और माल्टा व क्रोएशिया में जांब लगवाने का झांसा दिया। पुलिस को दी रिपोर्ट में प्रेम कुमार निवासी रायसिंहनगर ने बताया कि उनका संपर्क सोशल मीडिया के जरिए अंकुर चौधरी नाम के व्यक्ति से हुआ। अंकुर ने खुद को विदेश भेजने का एक्सपर्ट बताया और अपना ऑफिस उत्तर प्रदेश के भूडाना में होना बताया। प्रेम कुमार 21 अगस्त 2024 को भूडाना गए। वहां आरोपी अंकुर ने उनके भाई रिछपाल को माल्टा भेजने का झांसा देकर 1 लाख 80 हजार रुपए ले लिए।

इंस्टाग्राम के जरिये अजमेर का युवक पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड से संपर्क में था, जांच में खुलासा

बम विस्फोट की साजिश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, कई शहरों में धमाकों की साजिश थी

अजमेर, (निसं)। बम विस्फोट की साजिश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अजमेर निवासी अली अकबर की दोस्तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसी संपर्क के माध्यम से वह आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ और अन्य आरोपियों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा।

जांच में सामने आया कि अली अकबर ने साजिश में शामिल अन्य दो आरोपियों बुलंदशहर निवासी अनस और अंबाला निवासी जगबीर को दिल्ली में अपने दोस्त रहमान के यहां ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी।

■ जांच में सामने आया कि अली अकबर ने साजिश में शामिल अन्य दो आरोपियों को दिल्ली में अपने दोस्त रहमान के यहां ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई थी

■ वहीं जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दिल्ली के सफदरगंज, पंजाब के मलेरकोटला, पठानकोट, अंबाला कैंट और हनुमानगढ़ के सैन्य क्षेत्र को निशाना बनाने की योजना बनाई थी

हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ ने तीनों को विस्फोटक सहित गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार, इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान शहजाद भट्टी ने अली अकबर का ब्रेनवॉश किया और

उसे पैसों का लालच देकर आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया। बाद में बातचीत के लिए 'सिग्नल' ऐप का इस्तेमाल किया जाना लगा, जहां से विस्फोट स्थलों के वीडियो भी साझा

किए जाते थे। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दिल्ली के सफदरगंज, पंजाब के मलेरकोटला, पठानकोट, अंबाला कैंट और हनुमानगढ़ के सैन्य क्षेत्र को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। इनमें से हनुमानगढ़ के तोपखाने को उड़ाने की योजना को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां चौबे आरोपी की तलाश में जुटी हैं, जिसे विस्फोटक सौंपा जाना था। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

बीकानेर में 11 साल बाद महिला टीचर की जॉइनिंग पर विवाद

नियमों की अनदेखी के आरोप लगाकर लोकायुक्त में शिकायत की

बीकानेर, (निसं)। एक महिला शिक्षिका को करीब 11 साल बाद दोबारा सरकारी सेवा में जॉइन कराने और सीधे शहर में पोस्टिंग देने का मामला विवादों में आ गया है। इस पर नियमों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए लोकायुक्त में शिकायत की गई है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत ही की गई है।

बीकानेर के उदयगामसर गांव निवासी सीमा यादव ने लोकायुक्त को दी शिकायत में बताया कि संबंधित महिला शिक्षिका जालवाली गांव में पोस्टेड थी और 16 जुलाई 2014 से अवकाश पर चल रही थी। शिकायत में

कहा गया है कि शिक्षिका लंबे समय तक बिना सूचना के गैरहाजिर रही, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने नियमानुसार कोई सख्त कार्रवाई नहीं की।

परिवाद में उल्लेख किया गया है कि नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 5 साल तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। इसके बावजूद 16 जून 2025 को शिक्षिका को फिर से जॉइन करा दिया गया, जिसे नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। शिक्षातत्कर्ता का आरोप है कि जॉइनिंग के बाद शिक्षिका को गांव के बजाय सीधे

बीकानेर शहर में पोस्टिंग दे दी गई, जो नियमों के विपरीत है। इस संबंध में करीब पांच पेज की शिकायत लोकायुक्त को दी गई है।

डीईओ किसनदान चारण ने बताया कि टीचर की जॉइनिंग और पोस्टिंग विभागीय नियमों और निर्देशों के अनुसार ही की गई है। लोकायुक्त से शिकायत मिलती है तो विभाग की ओर से पूरा जवाब दिया जाएगा। शिकायतकर्ता सीमा यादव का कहना है कि 11 साल बाद ज्वाइन कराने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है। बीकानेर स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के कारण ही लोकायुक्त में शिकायत की गई है।

पागल श्वान ने दस लोगों पर हमला किया

मसूदा, (निसं)। मसूदा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत किराप में एक कुत्ते के पागल हो जाने से गांव में अफरा-तफरी मच गई। पागल कुत्ते (श्वान) के हमले में दो बुजुर्गों और एक बच्चे सहित 1० ग्रामीण घायल हो गए। पागल कुत्ते (श्वान) ने करीब आधा दर्जन गावों और पैसों को भी काट लिया।

मिली जानकारी के अनुसार पागल हो जाने पर कुत्ता किराप की गलियों में दौड़ता रहा और ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता रहा। सबसे पहले उसने घर से निकल रहे बुजुर्ग पर्वत सिंह को काटा। इसके बाद कुत्ते ने प्रेम सिंह, प्रवीण सिंह, पुष्पी सिंह, कलावती, रामेश्वरी, तारा देवी, सुखदेव सहित अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। घायल ग्रामीणों को तुरंत किराप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मसूदा चिकित्सालय रेफर कर दिया।

भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा कारणों से नए प्रतिबंध लागू

अनूपगढ़, (निसं)। जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला कलैक्टर डॉ. मंजू ने आदेश जारी कर अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में विशेष पाबंदियां लगाई हैं। ये आदेश श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों से लगती सीमा पर प्रभावी रहेंगे। इन प्रतिबंधों के तहत, अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, जिन किसानों को अपनी कृषि भूमि पर सिंचाई या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जाना होगा, उन्हें संबंधित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बॉर्डर पोस्ट अधिकारी या सेना के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। रात के समय इस क्षेत्र में तेज रोशनी

और तेज ध्वनि वाले उपकरणों का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। इसमें पटाखे, बैड, डीजे और अन्य तेज आवाज वाले साधन शामिल हैं। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान इन पाबंदियों से मुक्त रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने एक लिखित आदेश में पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के अनुसार, सीमा के पास पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में लगभग तीन से चार किलोमीटर तक पहुंच सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। इसी आशंका के मद्देनजर, जिले के उन सभी क्षेत्रों में जहां पाकिस्तानी नेटवर्क की पहुंच संभव है, किसी भी व्यक्ति द्वारा पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है।

चौमूं : ढोढसर बस स्टैंड पर 7 5 दुकानें व 1 0 मकान ध्वस्त, मुआवजे को लेकर विवाद बढ़ा

जयपुर/अलवर। एसबी ने कार्रवाई करते हुए अलवर जिले के गोविन्दगढ़ तहसीलदार बसन्त कुमार परसोया और उसके दलाल रवि उर्फ रिकू को 1.50 लाख की रिश्त लेते गिरफ्तार किया है।

■ तहसीलदार व दलाल की 1.50 लाख की रिश्त लेते गिरफ्तार किया

एसबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिव्रादी ने शिकायत दी थी कि वसीयत के आधार पर मौसी के हिस्से की जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए दलाल गोविन्दगढ़ में आवेदन किया था। इस मामले में उपखंड अधिकारी के आदेश के बावजूद तहसीलदार द्वारा फाइल रॉबित रखकर रिश्त की मांग की जा रही थी। शिकायत के सत्यापन में सामने आया कि आरोपी तहसीलदार बसन्त कुमार परसोया ने अपने दलाल रवि उर्फ रिकू के माध्यम से पहले 5 लाख रुपए की मांग की। जिसे बाद में 3.50 लाख रुपए पर तय किया गया, जिस पर एसबी अलवर प्रथम के प्रभारी व उप अधीक्षक पुलिस शम्बीर खान के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। इस दौरान दलाल रवि को परिव्रादी से पहली किश्त के रूप में 1.50 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया। इसके बाद तहसीलदार बसन्त कुमार परसोया को भी कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया।

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। चौमूं उपखंड के ग्राम ढोढसर के बस स्टैंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के दौरान करीब 75 दुकानों और 1० मकानों को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया। दिनभर चली इस कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हलचल और तनाव की स्थिति बनी रही। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस जांके के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद जेसीबी मशीनों ने सड़क सीमा में बने अतिक्रमणों को हटाना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित रहे और कई बार विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। मकान व दुकान मालिकों ने मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई साथ ही कार्रवाई को लेकर लोगों ने उठाए सवाल। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।

भाजपा गोविन्दगढ़ मण्डल अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह शेखावत और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पक्षिम अध्यक्ष गिरिराज देवन्दा ने कहा कि प्रभावित परिवारों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि बिना पुनर्वास और उचित मुआवजे के इस तरह की कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है। स्थानीय



ढोढसर के बस स्टैंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

निवासी जगदीश प्रसाद खटीक ने आरोप लगाया कि उनका पुरतनी मकान ग्राम पंचायत के पट्टों पर बना हुआ था, इसके बावजूद बिना सुनवाई के उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से कई परिवारों के सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। भाजपा मण्डल अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एकरूपता नहीं बरती गई। कहीं 30 मीटर, कहीं कम और कहीं अधिक सीमा तक तोड़फोड़ की गई, जिससे पक्षपात की आशंका पैदा होती है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क के दोनों ओर समान रूप

से कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनएचआई सीमा में आने वाले मन्दिरों और एक स्कूल पर भी कार्रवाई की गई, जबकि उन्हें हटाने से पहले उचित मांगों को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार को शिकायत भेजी जाएगी। साथ ही स्थानीय लोग एसडीएम चौमूं को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क के दोनों तरफ से 6० मीटर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सड़क के पहले छोर पर 3० मीटर व सड़क के दूसरे छोर पर 3० मीटर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गई है। अतिक्रमण हटाने कि

■ आरोप है कि एनएचआई ने सीमा में आने वाले मन्दिरों और एक स्कूल पर भी कार्रवाई की गई, जबकि उन्हें हटाने से पहले उचित प्रक्रिया और मुआवजा दिया जाना चाहिए था

■ मकान व दुकान मालिकों ने मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही कार्रवाई को लेकर लोगों ने सवाल उठाए

मौके पर पुलिस बल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम भी मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नियमानुसार चलाया गया। जानकारी के अनुसार भाजपा मण्डल अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह शेखावत कहा कि इस संबंध में हमारे उचित मांगों को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार को शिकायत भेजी जाएगी। साथ ही स्थानीय लोग एसडीएम चौमूं को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क के दोनों तरफ से 6० मीटर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सड़क के पहले छोर पर 3० मीटर व सड़क के दूसरे छोर पर 3० मीटर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गई है। अतिक्रमण हटाने कि

डिजिटल अरेस्ट कर 1.85 करोड़ की ठगी का खुलासा, चार गिरफ्तार

■ गिरफ्तार आरोपियों में एसबीआई बैंक में संविदाकर्मी लगा एक युवक भी शामिल है

■ ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर रिटायर्ड प्रिंसिपल को शिकार बनाया था

पहुंको तो महिला के डिजिटल अरेस्ट होने का पता चला। मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी सुरेश सारण ने बताया कि फिलहाल मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

मामले में मुकेश राव (28) पुत्र पप्पूराम राव निवासी बलदेवनगर जोधपुर, तिलक सिंह (19) राणा राजपूत निवासी शक्ति कॉलोनी रातानाडा जोधपुर हाल निवासी गणेश चौराहा के पास, जोधपुर डेयरी के सामने प्रतापनगर सदर जोधपुर, शिवम तोमर (30) निवासी कुड़ी भगतसनी जोधपुर तथा अजय (25) निवासी जगदम्बा कॉलोनी प्रतापनगर जोधपुर हाल संविदाकर्मी एसबीआई शाखा पाल

रोड जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा देकर लौट रहे छात्र पर हमला : जोधपुर शहर के निकट भाखरी बास, केरू क्षेत्र में एक छात्र पर घात लगाकर हमला किया गया, जिससे छात्र के सिर पर चोटें लग गईं। छात्र को आरोपी ने जान की धमकी भी दी। घायल छात्र के पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी है। राजीव गांधी नगर पुलिस ने बताया कि भाखरी बास, केरू निवासी प्रेमराम पुत्र पुखराज मेघवाल की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसका नाबालिग पुत्र 16 मार्च को परीक्षा देकर लौट रहा था। तब रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे कुलदीप आदि ने उसका रास्ता रोककर मारपीट की और फिर किसी चीज से हमला कर दिया।

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd.,JAIPUR	निविदा सूचना /2025-26	Date: 16/03/2026
निविदापत्र प्राप्त के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिकाधिकारिता विभाग एवं उनके अधिकृत सचिवों के पंजीकृत एवं अनुमोदित संबद्धकों से निर्धारित षट्पत्र में ई-जोइन्टमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-		
कार्य का विवरण	कार्य की कुल अनुमानित मात्रा (क.)	निविदा सूचना संख्या
SITG of 200 KLD STP and 20 KLD ETP for Hospital & Medical College at Jhunjhunu (02 Nos. works) UBN: (RMR/2526WSOB081311 (2)RRC/2526WSOB081312	450.00 Lakh	87/198
Construction of Regional office & Laboratory Building for Pollution Control Board at Bund UBN: (RMR/2526WSOB081311	353.69 Lakh	87/199-20
निविदा के सम्बंधित षट्पत्र में निर्दिष्ट शुल्क, फॉर्मों सहित, डिजिटल करने व बंद होने की तारीख सहित सम्पूर्ण विवरण एवं सहायक वेबसाइट: http://proc.rajjasthan.gov.in तथा http://sppp.rajjasthan.nic.in तथा http://wdp.rajjasthan.gov.in/wdpd पर दर्ज आ सकता है। इसके संबंधित को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट http://proc.rajjasthan.gov.in पर रिजिस्टर करवाना आवश्यक है।		अपराजितनी

Executive Engineer Water Resources Division Karauli	Date:- 12/03/2026
No. 5987	
Notice Inviting Bid (N.I.T 05/2025-26)	
Bids for 06 nos works under MJSA 2.0 Phase IInd are invited from interested bidders from 12.03.2026 to dated 23.03.2026 upto 10:00 AM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.rajj.nic.in) of the state. The approximate value of the procurement in Total Rs. 189.13 Lacs.	
UBN Code: WRD2526A0793	
NISB No. - WRD2526WSOB02809, WRD2526WSOB02810	
WRD 2526WSOB02811, WRD2526WSOB02812	
WRD 2526WSOB02813, WRD2526WSOB02814	
(Susheel Kumar Gupta)	
Executive Engineer	
Water Resources Division Karauli	
DIPRC/5451/2026	
OFFICE OF THE DISTRICT SPORTS TRAINING CENTRE JALORE	
E-Mail: jilakhaladhikarjalor@gmail.com	
No.जि.ख.प्र.के./B/132	DATE14/03/26
NOTICE INVITING TENDERS	
The Bids For the District Sports Officer is purchasing boxing equipment and sports supplies for the sport of boxing in Jalore district under the PanchGaurav program. Therefore, open bids are invited from bonafide manufacturers/wholesalers/sole distributors/authorized dealers/marketers for the above supply (NIT NO.132 DATE 14/03/2006) Estimated Cost Rs. 15 Lacs) are invited From interested bidders up to 19.03.2026 other particular of the Bid may be visited on the procurement http://sppp.rajj.nic.in) of the state. Portal(http://eproc.rajjasthan.gov.in /UBN No. CJL2526GLOB000037	
DISTRICT SPORT OFFICER OFFICE OF THE DISTRICT SPORTS TRAINING CENTRE JALORE	
DIPRC/5647/2026	

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भुविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक नि:अ.ख.अ. नीलामी / नीलामी (ERCC/RCC 03)/2026)/2026/ई-14701
ई-नीलामी विज्ञिप्त संख्या (ERCC/RCC 03)/2026
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्रान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञिप्त से अध्रान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टों / ववारी लाईसेंसो व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क /अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 33 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक लेटफार्म पर इय्क्व बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajjasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक लेटफार्म प्रदाता कंपनियों MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं।
(महावीर प्रयाद मीणा)
DIPRC/5222/2026
निदेशक

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-F.32(B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/779

दिनांक 17.03.2026

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुभाषत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आबकारी कम्पस प.4 (1) विर./आब/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-समय नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाइन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	23-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1.

ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारिय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इय्क्व बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व संलग्नम राजस्थान सरकार के पोर्टल <https://sso.rajjasthan.gov.in> पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।

2.

नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिन्ट के अन्तर्न विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

3.

बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणांक में बढ़ाकर बोली लगानी होगी।

4.

बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / सिक्की बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढ़ाकर बोली नहीं लगा सकेगा।

5.

कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।

6.

ऑनलाइन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इय्क्व आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iems.rajjasthan.gov.in> वेबसाइट पर बोलीदाता के ऑनलाइन भूतान द्वारा इस वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता सिप्रिप्त प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाइन भूतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

7.

प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस के 2 प्रतिशत राशि उमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करवनी जानी है। बिज राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।

8.

सम्पन्न बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, के अनुसार जमा करनी होगी।

9.

निर्धारित समय में वार्षिक राशियां यथा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर सम्पन्न जमा राशि जपराज की जायेगी।

10.

वर्ष 2026-27 के पात्र अनुभाषत्रियों को कर्मकमः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुभाषत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।

11.

बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसमय नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।

12.

मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मद्यसमय नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध हैं। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जौन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

13.

ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्राधान आबकारी एवं मद्यसमय नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।

DIPRC/...../2026

आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर